न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

भगीया देवी बनाम किशुन साव वगैरह

वाद संख्या – 116/2023

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.09.23	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के भगीया देवी पति बंधन महतो के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि खतियान से हासिल है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है मौजा – नगलो, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत, खाता नं0 – 18, प्लॉट नं0 – 1333, रकबा – 20 डी0 चौहदी उ0 – नीज चाचा ससुर, दं0 – परती कदीम, पू0 – रास्ता, पं0 – लीलो महतो। द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा मिट्टी गिराया जा रहा था जिसे लेकर विवाद हो गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि खतियान से हासिल है जो मौजा – नगलो, थाना नं0 – 136, खाता नं0 – 18 प्लॉट नं0 – 1333 रकबा – 40 डी0 सर्वे खतियान बोधी महतो वगैरह के नाम पर है। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खयितान कि छायाप्रति ऑनलाईन पंजी – II कि छायाप्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर बताया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष के पति बंधन महतो के द्वारा द्वितीय पक्ष को खुसकी केवाला सदामदी कर दिये हैं। तथा प्रथम पक्ष के द्वारा मुकदमा भी कर दिया गया है जो गलत है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खुसकी केवाला की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी बिरनी के पत्रांक संख्या – 604 दिनांक 24/07/2023 के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल	

कारण–पृच्छा का अवलोकन किया अवलोकन के पश्चात प्रतीत होता है कि उक्त वाद हक हकियत को लेकर लाया गया है जिसका निपटारा इस न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया [*Appeal (Crl.)401 of 2004*] कहा है कि "*.....more preventive in nature and not punitive in their effect and consequences*". अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

29/09/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

29/09/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.10.10 15:00:57 +05:30
Location: 192.168.45.238